निग/2751/II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी क्रमांक सन् 2015

किशोर सिंह आयु 55 वर्ष तनय दमरू राजा

निवासी ग्राम बरेठी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.---------**निगरानीकर्ता**

बनाम

1- म0प्र0शासन

2- छुट्टन राजा बेवा संतोष सिंह

3- सुनीता पुत्री कल्यान सिंह

निवासीगण ग्राम बरेठी तह0 राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

4- अनीता पुत्री कल्यान सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह

नि0 ग्राम बरायच तहसील व जिला पन्ना म.प्र.---------**गैर निगरानीकर्तागण**

श्री ...चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 24.8.15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी मंडल बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्रं. 44/अ-6/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 को अंर्तनिहित शक्तियों के अधीन निरस्त किया जाकर आवेदक साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किये जाने का आदेश दिये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2015 निरस्त किये जाने से परिवेदित होकर धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

24/8/15

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है -

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा श्यामराजा पत्नी स्व.कल्याण सिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 9.9.2011 के आधार पर उक्त श्यामराजा की मृत्यु के पश्चात् नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी मंडल बसारी तहसील राजनगर (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा) के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं.44/अ-6/2012-13 पर दर्ज किया गया जिसमे अनावेदिका क्रं.2 से 4 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तदोपरान्त प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया गया जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 30.7.2014 को अपनी साक्ष्य मे स्वयं एवं साक्षी सुम्मेर सिंह व जीवनराजा के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये तदोपरान्त नियत दिनांक 23.08.2014 को प्रतिपरीक्षण हेतु साक्षी उपस्थित करने का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-2751/II/15 .... जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-15	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री के०के० द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया गया कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा दिनांक 9-9-11 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदकों के सर्वे क्रमांक-75/4, 96/2, 129/2, 130/2 354, 357/2 एवं 84, 88, 770, के सम्पूर्ण हिस्से से नामांतरण का निवेदन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्र०क्र० 44/अ-6/12-13 पंजीबद्ध कर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही दिनांक-15-12-14 एवं 17-8-15 को निरस्त करने का निवेदन करते हुए वही तथ्य प्रकट किये जो निगरानी मेमो में अंकित है। जिन्हें दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु विचार में लिया जावेगा। आवेदक अभि० द्वारा मुख्य रूप से आवेदक साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नायब तहसीलदार द्वारा जो समाप्त किया गया है, पुनः अवसर प्रदाय करने के निवेदन के साथ निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है। आवेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं का परिशीलन किया गया तथा निगरानी मेमो के साथ नायब तहसीलदार के न्यायालय की प्रकरण पत्रिका की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहे हैं कि संहिता की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण	

छतरपुर

R-2751/II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रकरण प्राप्त होने के दिनांक-30-9-13 से विवादित आदेश दिनांक तक आवेदक को साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर आवेदक अभि० के निवेदन पर आवेदक साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर इस प्रकार प्रदान किया गया — दिनांक 30-7-14 के आदेश से प्रतिपरीक्षण हेतु दिनांक-14-8-14 नियत की गई नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी के अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक-23-8-14 नियत की गई। नियत दिनांक 23-8-14 को आवेदक द्वारा प्रति परीक्षण हेतु साक्ष्य उपस्थित करने हेतु समय चाहा जो न्याय हित में दिया जाकर प्रकरण दिनांक 29-8-14 नियत की गई। दिनांक 29-8-14 से दिनांक-9-12-14 तक पीठासीन अधिकारी की अन्य कार्य में व्यस्तता के कारण पेशियां नियत होती रहीं। पुनः नियत पेशी दिनांक-9-12-14 को आवेदक द्वारा साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर चाहा आवेदक को न्यायहित में दिया गया तथा दिनांक 15-12-14 नियत की गई। इस प्रकार आवेदक को साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदाय करने के बाद भी ~~आवेदक द्वारा~~ नियत दिनांक 15-12-14 को आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक अभि० के समक्ष में मौखिक विरोध करने पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा आवेदक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर प्रकरण अनावेदक साक्ष्य एवं पटवारी रिपोर्ट हेतु दिनांक-22-12-14 को नियत किया गया। दिनांक 22-12-14 को प्रकरण बढ़ाया गया तथा दिनांक-23-12-14 को अनावेदक साक्ष्य

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2751/II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हेतु नियत किया गया दिनांक 23-12-14 को अनावेदक के सुनील एवं अनीता सिंह के साक्ष्य हुए जिनका प्रतिपरीक्षण आवेदक अभि० द्वारा किया गया तथा प्रकरण अना० के शेष साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 9-1-15 हुआ। प्रकरण में दिनांक 9-1-15 के बाद की अन्य प्रकरण पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। दिनांक 17-8-15 की प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि दिनांक 17-8-15 को उभय पक्ष अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए आवेदक अभि० द्वारा इतने लम्बे समय के बाद पुनः आवेदन पत्र दिनांक 17-8-15 को प्रस्तुत कर मांग की गई कि साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण कराया जावे। अनावेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत आवेदन का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया कि पहले भी आवेदक को प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है तथा प्रतिपरीक्षण का अवसर भी आदेश दिनांक 15-12-14 को समाप्त किया जा चुका है। उक्त तथ्यों के अनुक्रम में पीठासीन अधी० अधिकारी द्वारा आवेदक का यह कहते हुए आवेदन अस्वीकार किया गया कि प्रकरण आदेशार्थ नियत है इसी स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण आदेशार्थ नियत दिनांक 26-8-15 किया गया।	

R. 2751/II/15 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक को प्रकरण मे अपना पक्ष रखने का एवं प्रस्तुत साक्षियो के प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्राप्त होने एवं अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायहित मे पर्याप्त अवसर प्रदाय किये जाने के बाद भी आवेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोताही बरती गई, जो प्रकरण के विश्लेषण से परिलक्षित हो रही है अभिलेखों की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियो से स्पष्ट हो रहा है कि अब वर्तमान मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश हेतु नियत है। ऐसी स्थिति मे इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः प्रकरण अग्राह्य किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	